



तारीख
हुक्म

27.10.25

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

नम्बर व तारीख अहकाम
जो इस हुक्म की
तामील में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थिनी के वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 1 ता 12 के विरुद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

प्रार्थिनी वकील की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थिनी विवादित भूमि के रिकार्डेंड खातेदार हैं और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। विप्रार्थीगण के खेत प्रार्थिनी की खातेदारी भूमि से लगते हुए होने से वे माठ तोड़ कर जबरन प्रार्थिनी की खातेदारी भूमि पर काबिज होने को उतारू रहते हैं।

अतः प्रार्थिनी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहते हैं। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सुन्धानगर तहसील सिवाना के खसरा संख्या 114 रकबा 01.8292 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ बाद पैमाईस पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को 2000/- रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थिनी मौके पर अदा करें आवश्यकता होने पर तहसीलदार सिवाना को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहरीर जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कमिश्नरी
सिवाना (पश्चिम)



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बालोतरा)

क्रमांक: वाचक / 2025 / 2314

दिनांक : 27.10.2025

प्रार्थी
ओमकंवर पत्नी सोहनसिंह

बनाम

विप्रार्थीगण
पकाराम पुत्र भलाराम वगैरा

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश
जरिये पत्थर गढी

राजस्व आवेदन सं. 118 / 2024

दिनांक :- 27.10.2025

—: आदेश :-

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम सुन्धानगर तहसील सिवाना की खसरा संख्या 114 रकबा 01.8292 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस रुपये 2000/- प्रार्थिनी मौके पर अदा करे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हें सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

क्रमांक: वाचक / 2025 / 2315-2318
प्रतिलिपि :

दिनांक : 27.10.2025

1. तहसीलदार सिवाना
2. थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना
3. हल्का पटवारी सैला तहसीलदार सिवाना द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकॉर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थिनी ओमकंवर पत्नी सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी जीनपुर तहसील सिवाना जिला बालोतरा



उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)